

चिकित्सा सहायता के प्रयोजन हेतु आश्रितों की घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूं कि निम्नलिखित व्यक्ति पूर्णतः मुझ पर निर्भर हैं:

क्र.सं.	नाम	जन्म की तारीख	संबंध
1	2	3	4

ध्यान दें: परिवार में केवल पत्नी (या पति), बच्चे या सौतेले बच्चे और पूरी तरह से आश्रित माता-पिता शामिल हैं और कोई अन्य रिश्तेदार जैसे विवाहित या विधवा बेटियाँ, भाई, बहन आदि शामिल नहीं हैं। ऐसे माता-पिता जो सामान्य रूप से संबंधित कर्मचारी के साथ रहते हैं और जिनकी कुल मासिक आय नहीं है वेतन और महंगाई भत्ता से अधिक, अधिकतम रु. रात 9000 बजे कर्मचारी पर आश्रित माना जाता है।

जो कर्मचारी अपने माता-पिता को अपने ऊपर आश्रित घोषित करता है, उसे निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र देना होगा:

“प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता या दोनों वास्तव में मेरे साथ \_\_\_\_\_ पर रहते हैं/हैं और वे/वे पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं/हैं और उनकी आय रु. \_\_\_\_\_ अपराह्न

तिथि

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम एवं पदनाम \_\_\_\_\_

स्वीकृत

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

कृपया परिभाषा के लिए पलटें

नोट: परिवार की परिभाषा

- (1) पति/पत्नी (केवल पहली पत्नी)
- (2) आश्रित माता-पिता/सौतेली मां (गोद लेने के मामले में, केवल दत्तक माता-पिता, वास्तविक माता-पिता नहीं)
- (3) यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियाँ हों, तो केवल पहली पत्नी।
- (4) एक महिला कर्मचारी के पास या तो अपने आश्रित माता-पिता या अपने आश्रित माता-पिता को शामिल करने का विकल्प होता है - कानून; सेवा के दौरान विकल्प अभ्यास को केवल एक बार बदला जा सकता है।
- (5) निम्नलिखित शर्तों के अधीन कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चे शामिल हैं:

(1)	बेटा	जब तक वह कमाना शुरू न कर दे या 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो
(2)	बेटी	जब तक कमाई करना शुरू नहीं कर देती या उसकी शादी नहीं हो जाती, उम्र सीमा पर ध्यान दिए बिना, जो भी पहले हो
(3)	पुत्र किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता (शारीरिक या मानसिक) से पीड़ित है जैसा कि नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार	आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना है
(4)	आश्रित तलाकशुदा/परित्यक्ता या अपने पति से अलग/विधवा बेटियाँ और आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा, परित्यक्त या अपने पति से अलग/विधवा बहनें	आयु सीमा पर ध्यान दिए बिना है
(5)	आश्रित अवयस्क भाई	बालिग बनने की उम्र तक

**विकलांगता** - विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 की संख्या 1) की धारा 2(1) में परिभाषित के अनुसार होगी, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

**विकलांगता का अर्थ है** - अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग ठीक होना, श्रवण हानि, चलने-फिरने में विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी।

**आश्रितों के लिए आयु सीमा** - पेंशन/पारिवारिक पेंशन और डीसीआरजी के समकक्ष पेंशन सहित सभी स्रोतों से सीजीएचएस के तहत आश्रितों के लिए प्रति माह आयु सीमा रु। दावे के विचार की तिथि पर 9000 प्लस महंगाई राहत की राशि ओ.एम. दिनांक 10.12.2008.

\*\*\*\*\*

**ICMR-National Centre for Disease Informatics and Research  
Bengaluru**

**Declaration of dependents for purpose of medical aid**

I certify that the following persons are wholly dependent to me:

<b>Sl. No.</b>	<b>Name</b>	<b>Date of Birth</b>	<b>Relationship</b>
1	2	3	4

Note: Family includes only wife (or husband), children or stepchildren and wholly dependent parents and no other relations such as married or widowed daughters, brothers, sisters etc. Such parents who normally reside with the employee concerned and whose total monthly income does not exceed the pay plus dearness allowance subject to the maximum of Rs. 9000 p.m. are treated as dependent to the employee.

An employee who declares his parents as dependents on him should give a certificate in the following form:

“Certified that my father / mother or both is/are actually residing with me at \_\_\_\_\_ and that he/she/they is/are wholly dependent on me and that their income is Rs. \_\_\_\_\_ p.m.

Date:

Signature \_\_\_\_\_

Name & designation \_\_\_\_\_

**ACCEPTED**

**Signature of Head of Office**

*Please turn over for definition*

**Note: Definition of Family**

- (1) Husband/Wife (First wife only)
- (2) Dependent Parents/Step Mother (in case of adoption, only adoptive & not real parents)
- (3) If adoptive father has more than one wife, the first wife only.
- (4) A female employee has a choice to include either her dependent parents or her dependent parents – law; option exercise can be changed only once during service.
- (5) **Children** including legally adopted children, step children and children taken as wards subject to the following conditions:

(1)	son	Till he starts earning or attains the age of 25 years whichever is earlier
(2)	Daughter	Till she starts earning or gets married, irrespective of the age limit, whichever may be earlier
(3)	Son suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) as defined below	Irrespective of age limit
(4)	Dependent divorced/abandoned or separated from their husband/widowed daughters and dependent unmarried/divorced abandoned or separated from their husband/widowed sisters	Irrespective of age limit
(5)	Dependent Minor brother(s)	Upto the age of becoming a major

**Disability** – will be as defined in Section 2(1) of the persons with Disabilities (Equal opportunities, protection of Rights and full participation) Act, 1995 (No.1 of 1996), which is reproduced below:

**Disability Means** – Blindness, Low Vision, Leprosy Cured, Hearing Impairment, Locomotors Disability, Mental retardation, Mental illness.

**Income limit for dependents** – The income limit per month for dependent under CGHS FROM ALL SOURCES INCLUDING Pension/Family Pension and pension equivalent of DCRG is Rs. 9000 plus the amount of Dearness Relief thereon on date of consideration of the claim O.M. dated 10.12.2008.

\*\*\*\*\*